



Form 1

**Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained
by the Anchal Adhikari under Section 3(1)**

(See Rule 4)

Continous Khatian

Anchal- बलियापुर Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 43 Khata
Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
---------------	-----------------------------------	-----------------	---------	---	----	----	------	--------------------	------------------------------------

41	काभीनाय कुम्हार , पिता-धनचन्द्र कुम्हार, जाति- कुम्हार एवं वो दिव्जोपदो कुम्हार वो गौरी पदो कुम्हार , पिता- गोखुल कुम्हार, जाति- कुम्हार	1084	0 ए	13 डि	0 ए	3	1 / 41
		1146	0 ए	0 डि	0 हे		
		1148	0 ए	0 डि	0 हे		
		1165	0 ए	39 डि	0 ए		
		1173	0 ए	32 डि	0 ए		
		1346	0 ए	2 डि	0 हे		
		1363	0 ए	35 डि	0 ए		
		1364	0 ए	25 डि	0 ए		
		1365	0 ए	4 डि	0 ए		
		1367	0 ए	23 डि	0 ए		
		1368	0 ए	12 डि	0 ए		
		1374	0 ए	51 डि	0 ए		
		1375	0 ए	12 डि	0 ए		
		1376	0 ए	21 डि	0 ए		
		1818	0 ए	18 डि	0 ए		
		2000	0 ए	35 डि	0 ए		
		2031/2752	0 ए	10 डि	0 ए		
		2075	0 ए	9 डि	0 ए		
		2076	0 ए	10 डि	0 ए		
		2338	0 ए	4 डि	0 ए		
		2363	0 ए	5 डि	0 ए		
		2367	0 ए	15 डि	0 ए		
		811	0 ए	6 डि	0 हे		
		814	0 ए	19 डि	0 ए		
		815	0 ए	3 डि	0 हे		
		817	0 ए	12 डि	0 ए		
		844	0 ए	18 डि	0 ए		
845	0 ए	16 डि	0 ए				

41	श्री प्रमोद प्रसाद , पिता-स्व0 राजो लाल , जाति- काएस्थ	1146		0 ए	0 डि	0 हे	0	नामान्तरण मुकदमा संख्या 779/2021 - 2022	15 / 64
		1148		0 ए	0 डि	0 हे			
41	NINETY NINE BUILDERS PVT LTD DIRECTOR MAHESH KUMAR , पिता-LATE BHARAT MODI , जाति- बनीया	1146		0 ए	11.39 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1360/2021 - 2022	15 / 92
		1148		0 ए	23 डि	0 हे			
41	श्री हीरेन कुम्भकार , पिता-श्री सुबल कुम्भकार , जाति- .	815		0 ए	5 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 362/2022 - 2023	17 / 10
41	SMT SANDHA OJHA , पति-SRI MILAN KUMAR OJHA, जाति- ----	1146		0 ए	3.61 डि	0 हे	8	नामान्तरण मुकदमा संख्या 801/2022 - 2023	18 / 36

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

12/19/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें |